उत्तर प्रदेश शासन
परिवहन अनुभाग-4
संख्या-4/2024/जी0आई0-38/तीस-4-2024
लखनऊः दिनांकः 01 मार्च, 2024

<u>कार्यालय-ज्ञाप</u>

देश में अन्तर्देशीय जल परिवहन के समेकित विकास हेतु गठित अन्तर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद की प्रथम बैठक दिनांक 08.01.2024 को कोलकाता में सफलतापूर्वक सम्पन्न हुयी। इस बैठक में अन्तर्देशीय जल परिवहन में हरित तकनीकी का उपयोग करने के लिए एक कार्यात्मक पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने हेतु पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय द्वारा तैयार की गयी "Harit Nauka-Inland Vessels Green Transition" विषयक गाइडलाइन्स लांच की गयी है। मा0 मंत्री, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग एवं आयुष मंत्रालय, भारत सरकार के अर्द्धशासकीय पत्र संख्या-IWT-11011/4/2024-IWT, दिनांक 31.01.2024 एवं सचिव, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार के अर्द्धशासकीय पत्र संख्या-IWT-11011/4/2024-IWT-Part(1), दिनांक 07.02.2024 के माध्यम से उक्त गाइडलाइन्स के सम्यक क्रियान्वयन एवं सम्बन्धित विभागों के मध्य समन्वय स्थापित करने के प्रयोजनार्थ नोडल अधिकारी नामित करने की अपेक्षा की गयी है।

2- उक्त अपेक्षानुक्रम में "Harit Nauka-Inland Vessels Green Transition" विषयक उक्त गाइडलाइन्स के सम्यक क्रियान्वयन एवं सम्बन्धित विभागों के मध्य समन्वय स्थापित किये जाने के प्रयोजनार्थ श्री के0पी0 सिंह, विशेष सचिव, परिवहन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को एततद्वारा नोडल अधिकारी नामित किया जाता है। उक्त अधिकारी से सम्बन्धित अन्य विवरण निम्नवत है,:-

कार्यालय कक्ष संख्या- 434, बापू भवन, उ०प्र० सचिवालय, लखनऊ।
मोबाइल संख्या - 7755867700
दूरभाष संख्या - 0522-2238114
ई-मेल - specialsecretarytransport@gmail.com

एल० वेंकटेश्वर लू
प्रमुख सचिव

--2/-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

संख्या एवं दिनांक तदैव:-

उक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1. निजी सचिव, मा0 मंत्री, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग एवं आयुष मंत्रालय, भारत सरकार को उनके पत्र संख्या-IWT-11011/4/2024-IWT, दिनांक 31.01.2024 के संदर्भ में।
2. निजी सचिव, मा0 परिवहन राज्य मंत्री जी (स्वतंत्र प्रभार), उत्तर प्रदेश।
3. निजी सचिव, सचिव, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार को उनके पत्र संख्या-IWT-11011/4/2024-IWT-Part(1), दिनांक 07.02. 2024 के संदर्भ में।
4. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, परिवहन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
5. परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश ।
6. श्री के0पी0 सिंह, विशेष सचिव , परिवहन विभाग, उ०प्र० शासन को मा0 मंत्री, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग एवं आयुष मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या-IWT-11011/4/2024-IWT, दिनांक 31.01.2024 तथा सचिव, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या-IWT-11011/4/2024-IWT-Part(1), दिनांक 07.02.2024 की प्रतियों सहित।
7. निजी सचिव, विशेष सचिव(श्री सोनकिया), परिवहन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
8. परिवहन अनुभाग-1/2/3, उत्तर प्रदेश शासन ।
9. गार्ड फाइल।

वी0के0 सोनकिया
विशेष सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।